न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 04/2019
Rcms reg. No. 2019/00008

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा	बनाम	श्री कांतिलाल पिता श्री शंकरलाल कलाल उम्र 52 निवासी झडस पुलिस थाना गढी जिला बांसवाड़ा (राज.)

निर्णय

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

दिनांक :– 30–12–2019

1- पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा द्वारा गैर सायल श्री कांतिलाल पिता श्री शंकरलाल कलाल उम्र 50 वर्ष निवासी झडस पुलिस थाना गढी जिला बांसवाड़ा (राज.) के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावे।

2- पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :–

1. प्रथम सूचना क्रमांक 181/ 2011 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गढी में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री कांतिलाल के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय द्वारा दिनांक 05–11–2011 को प्रकरण संख्या 370/ 2011 से 140/– रूपया अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।
2. प्रथम सूचना क्रमांक 233/2014 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गढी में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री कांतिलाल के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय द्वारा दिनांक 02–12–2014 को प्रकरण संख्या 342/ 2014 से से 100/– रूपया अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।
3. प्रथम सूचना क्रमांक 176/ 2019 अन्तर्गत धारा 19/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गढी में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री कांतिलाल के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय द्वारा दिनांक 08–07–2019 को प्रकरण संख्या 378/2019 से 300/– रूपया जुर्माने से दण्डित किया गया।
4. इस प्रकार गैरसायल श्री कांतिलाल पिता श्री शंकरलाल कलाल उम्र 50 वर्ष निवासी झडस पुलिस थाना गढी जिला बांसवाड़ा (राज.) जो अवैध शराब का कारोबार करते हुए पकड़े जाने पर 16/54 आबकारी अधिनियम के तहत् 3 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने पर बाद ट्रायल तीनो प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर तीनो बार अर्थ दण्ड से दण्डित करते हुवे जमानत मुचलकों पर पांबद किया हुआ है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् कार्यवाही करने निवेदन किया।

3- इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

4- गैरसायल की और से अभिभाषक श्री फारूख मोहम्मद द्वारा वकील पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 19–12–2019 को जवाब प्रस्तुत किया गया कि :-

1. गैरसायल किसी गैंग का सदस्य या नेता नहीं है, ना ही आदतन आरोपी है, ना किसी अपराध को करने के लिए अन्य लोगों को दुष्प्रेरित करता है। ऐसा कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, जिससे किसी को क्षति पहुंचाई हो, चोरी की हो, लुटपाट की हो या छिना झपटी की हो। इस कारण गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत अभियोजन नही चलाया जा सकता है।
2. गैरसायल गांव के किसी सरपंच, वार्डपंच और सभ्य नागरिको के बयान दर्ज करना चाहता है एवं अपने गवाह पेश करना चाहता है और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गये गवाहों से जिरह व गवाह भी पेश करना चाहता है।
3. गैरसायल के विरूद्ध आरोपों को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण फैसल शुमार किये जाने निवेदन किया।

5- दिनांक 19–12–2019 को प्रकरण में गैरसायल की ओर से विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरूद्ध कोई भी मुकदमा भारतीय दण्ड संहिता की धारा में दर्ज नहीं हुआ है। सभी प्रकरण लोक अदालत की भावना से न्यायालय द्वारा निर्णित हुए हैं। अतः गैरसायल के विरूद्ध आरोप निरस्त किए जाकर प्रकरण फैसल शुमार करने निवेदन किया।

6- हमने पत्रावली तथा उसमें संलग्न अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैर सायल के विरूद्ध सीमित अवधि में 3 प्रकरण दर्ज हुए हैं, इनमें से 3 प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश होकर आरोप प्रमाणित पाए जाने पर दोष सिद्ध ठहराया जाकर तीनो बार अर्थ दण्ड से दण्डित करते हुवे जमानत मुचलकों पर पांबद किया किया गया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत समुचित अभिलेखीय साक्ष्य से आरोप स्पष्ट रूप प्रमाणित होता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् गैरसायल श्री कांतिलाल पिता श्री शंकरलाल कलाल उम्र 50 वर्ष निवासी झडस पुलिस थाना गढी जिला बांसवाड़ा (राज.) को गढी तहसील क्षैत्र से 15 दिन के लिये निष्कासित किया जाता है। गैर सायल उक्त 15 दिन की अवधि में गढी तहसील क्षैत्र में विचरण नहीं करेगा एवं न ही पुनः प्रवेश करेगा। इस अवधि में गैरसायल तहसील क्षेत्र, अरथूना में निवास करेगा एवं थानाधिकारी अरथूना को अपनी उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज कराये। निर्णय की प्रति पालना हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा को भेजी जावे। यह आदेश दिनांक 30–12–2019 से प्रभावी होगा। यदि गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण तहसील क्षैत्र, गढी में स्थित किसी माननीय न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व गैर सायल को इस न्यायालय एवं संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरन्त पश्चात् इस न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 30–12–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नरेश बुनकर)
अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2020.01.06 11:16:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: